

दिनांक आश
या कार्यवाही

आश विस्तृत रूप से

शिक्षण विभाग

12/01/23

मूलवाद में प्रार्थना पत्र शीघ्र पुनवाई
बाबत मिलान तलब सिद्धे जाने बाबत
प्रस्तुत होने पर आज पेशी पर ली गयी
प्राची अधिकतर एवं प्राची स्वयं उपस्थित
उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मूलवाद
में प्रार्थना पत्र बादपत्र बिट्टी स्वीकार
होकर मूलवाद बिट्टी देने से खारिज किया
जा चुका है ऐसी स्थिति में उक्त
प्रार्थना पत्र खारिज होने से आज
चलाये जाने का कोई मोर्चिय नही है
अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
खारिज किया जाता है
पत्रावली नम्बर से कम होकर
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

2023/01/12
id: b7

(36)

सहायक कलाक्टर बस्ती जिला जयपुर